न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3 / 18	02.04.2025	24.02.2026

बउनवान

01. हीरा सिंह उर्फ रामभरोसा पुत्र लल्लूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू0अ0 मालाखेडा जिला अलवर

असल अप्रार्थी

02. गीता देवी पत्नी वीर सिंह चौधरी,
03. फूलवती पत्नी शिवराम जाट,
04. रामा पत्नी भगवान सहाय, निवासीयान ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 682 खसरा संख्या 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में स्थित थी। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा फतेहराम पुत्र पुरा खातेदार एवं काश्तकार थे। फतेहराम ने दिनांक 26.04.1984 को विधि अनुसार एक वसीयतनामा लिखकर उक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की थी। उनकी मृत्यु उपरांत, वसीयतनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 891 के तहत उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया। प्रार्थी तब से उक्त भूमि पर विधिक खातेदार और काश्तकार के रूप में काबिज है तथा भूमि का भोग विलास एवं खेती कार्य कर रहा है। सेटलमेंट के दौरान अधिकारियों द्वारा वसीयत के आधार पर दर्ज प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेखों से हटा दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत एवं अन्यायसंगत है। प्रार्थी ने तहसीलदार मालाखेड़ा को कई बार रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु आवेदन दिया, किन्तु तहसीलदार मालाखेडा ने कहा कि न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आने पर ही आवश्यक संशोधन किया जाएगा। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किया था, किंतु निर्णय में खाता संख्या 682 खसरा संख्या 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम हल्दीना, की भूमि का संशोधन रह गया था, जो मानवीय त्रुटि है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णत न्यायोचित विधिसम्मत एवं सुनवाई योग्य है। यदि भूमि रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी के कानूनी अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 682 खसरा संख्या 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज करने एवं वसीयत के आधार पर सही खातेदार के रूप में दुरस्ती का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पत्रांक भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

/2025/1033 दिनांक 15.10.2025 अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि " प्रार्थी हीरासिंह के दादा फतेहराम पुत्र पूरया जाट ने सन 1984 में एक वसीयत (रजिस्टर्ड) प्रार्थी हीरासिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। मुताबिक वसीयतनामा साबिक जमाबन्दी में जर्ये ई. नं. 891 वसीयत की गई भूमि प्रार्थी हीरासिंह पुत्र लल्लूराम के पक्ष में दर्ज हो चुकी थी। भू. प्रबन्ध संवत 2051 के बाद तैयार रिकार्ड में त्रुटिवश उक्त साबिक ई. नं. 891 का अमल न होने के कारण प्रार्थी हीरासिंह ने धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत प्रा. पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष सन् 2006 में प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि जमाबन्दी सं. 2060–63 के खाता संख्या 142, 245, 500 में नामा. सं. 891 के अनुसार फतेहराम पुत्र पूरा के स्थान पर हीरासिंह उर्फ रामभरोसा पुत्र लल्लूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। उक्त निर्णय की पालना में नामा. सं. 1177 दर्ज होकर स्वीकार हुआ। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2006 के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खा. सं. 142, 245, 500 में पूर्व में ही शुद्धि कर अमल दरामद कर दिया गया है जो वर्तमान जमाबन्दी में सही है। परन्तु साबिक नामा. संख्या 891 में दर्ज खसरा नंबर 565 हाल ख. नं. 2989 रकबा 0.32 में आदिनांक तक फतेहराम पुत्र पूरा दर्ज है जो कि गलत प्रविष्टि है। हाल खसरा नंबर 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर में साबिक ना. सं. 891 के अनुसार फतेहराम पुत्र पूरा हि0 1/2 के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ रामभरोसा पुत्र लल्लूराम हि. 1/2 का नाम शुद्ध किया जाना प्रस्तावित किया है।

पत्रावली मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट पर मनन किया। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे हाल खसरा नंबर 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर में साबिक ना. सं. 891 के अनुसार फतेहराम पुत्र पूरा हि0 1/2 के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ रामभरोसा पुत्र लल्लूराम हि. 1/2 का नाम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः तहसीलदार मालाखेडा की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को उनकी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/1033 दिनांक 15.10.2025 के अनुसरण मे ग्राम हल्दीना के हाल खसरा नंबर 2989 रकबा 0.32 हैक्टेयर में साबिक ना. सं. 891 के अनुसार फतेहराम पुत्र पूरा हि0 1/2 के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ रामभरोसा पुत्र लल्लूराम हि. 1/2 का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट निर्णय का जुज माना जावेगा। तहसीलदार मालाखेडा को निर्णय एवं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–24.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)